न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 97 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेसपोडेंटगण
1. किसनाराम पुत्र पुरखाराम 2. सांवलाराम पुत्र पुरखाराम 3. बाबूराम पुत्र पुरखाराम 4. श्रीराम विश्नोई पुत्र पुरखाराम 5. रदाराम पुत्र पुरखाराम 6. दिनेश कुमार पुत्र पुरखाराम 7. श्रीमती धोलीदेवी पत्नी हनुमानराम 8. रमेश कुमार पुत्र हनुमानराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता धोलीदेवी पत्नी हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. पुरखाराम पुत्र रिडमलराम 2. मूलाराम पुत्र रिडमलराम जाति विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2021 बअनवान किसनाराम वगै. बनाम पुरखाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 18.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गोलिया गर्वा पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 168 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नमबर 169 रकबा 211.10 बीघा, खसरा नम्बर 189 रकबा 15.17 बीघा, खसरा नम्बर 190/1 रकबा 56.17 बीघा कुल रकबा 284.10 बीघा की आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है व हिन्दू विधि से शासित होते है तथा वादीगण संख्या 01 से 06 व वादी संख्या 07 व 08 के पिता हनुमानराम सातो सगे भाई है जो प्रतिवादी संख्या 01 के जांयदा पुत्र है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही पूर्वज रिडमल के वंशज है। हस्तगत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी से ही पक्षकारों के कुसंयोजन का तथ्य अंकित करते हुए प्रारम्भिक स्टेज पर ही मूल वाद को खारिज किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटगण के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से कैम्प कोर्ट में पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद का प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया जाकर इकबाली जबाबदावा पेश किया गया। उतदाता ने वाद को खारिज करने हेतु कोई अन्य प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर ही समस्त कार्यवाही अपीलांटगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में करते हुए गलत आक्षेपों के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया गया है। वादीगण हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है जिस कारण वादीगण अपनी पैतृक भूमि में हक हिस्सा घोषितं करवाने के विधिक अधिकारी है। अपीलांटगण द्वारा किसी प्रकार से पक्षकारों का कुसंयोजन नहीं किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से ही पक्षकारों के कुसंयोजन का तथ्य अंकित करते हुए प्रारम्भिक स्टेज पर ही वाद को खारिज किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत वाद में अपीलांटगण द्वारा पक्षकारों का कुसंयोजन करने से मूल वाद को खारिज नहीं किया जाकर आवश्यक पक्षकारों का संयोजन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर प्रकरण का निरतारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित था। भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2021 को पेश की गई उसमें अंकित किया गया कि पुरखाराम की खातेदारी भूमि खसरा नं. 168, 169, 189 पैतृक है व खसरा नं. 190 की भूमि पैतृक नहीं है लेकिन इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस कारण से खसरा संख्या 190 की भूमि पैतृक नहीं है। मात्र इस आधार के मूल दावे को खारिज किये जाने से अपीलाटगण न्याय प्राप्त करने से महरूम हो जाऐगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2021 बअनवान किसनाराम वगै. बनाम पुरखाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी की जांच रिपोर्ट के अनुसार यदि संयोजित पक्षकारों के अलावा अन्य आवश्यक हितवद्ध पक्षकार हो तो संयोजित किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पालीनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर